



Phone: 05942-233525

E-mail: barcounciluk@gmail.com

BAR COUNCIL OF UTTARAKHAND, NAINITAL
High Court Campus, Nainital

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस
(वैरिफिकेशन नियम-2015) के अन्तर्गत वैरिफिकेशन हेतु निर्देश

उपरोक्त नियम के क्रम में समस्त निम्न अधिवक्ताओं को अवगत कराना है कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया सर्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरिफिकेशन नियम-2015 के बिन्दु 18.2 के अन्तर्गत उन अधिवक्ताओं की सूची निम्न तालिका में है जिनके द्वारा अपने वैरिफिकेशन फॉर्म इस कार्यालय में आज तिथि तक जमा नहीं किये गये हैं, सम्बन्धित अधिवक्ता 15 दिन के अन्दर अपने वैरिफिकेशन फॉर्म नियमानुसार बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड, नैनीताल के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके नाम डिफॉल्टर लिस्ट में सम्मिलित कर दिये जाएंगे।

दिनांक— 01.09.2017

आज्ञा से

सचिव,
बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड,
नैनीताल।